मध्यप्रदेश विधान सभा

जून-जुलाई, 2004 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 25 जून, 2004 (आषाढ़ 4, 1926)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री बाबूलाल गौर, विधि और विधायी कार्य मंत्री, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (क्रमांक 39 सन् 1987) की धारा-30 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार विधि और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक फा. क्र. 17 (ई) 95-04-इक्कीस-ब (दो), दिनांक 2 जून, 2004 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री कैलाश चावला, वाणिज्यिक कर मंत्री, मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा-80 की उपधारा (5) की अपेक्षानुसार वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक ए-13-22-89-विक-पांच (51), दिनांक 11 सितम्बर, 2003 पटल पर रखेंगे.

(3) श्री ओमप्रकाश धुर्वे, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री, द वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन एक्ट, 1962 की धारा 31 की उपधारा (11) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन का 45 वां प्रतिवेदन एवं हिसाब-पत्रक वित्तीय वर्ष 2002-2003 (दिनांक 1.4.2002 से 1.5.2002 तक) पटल पर रखेंगे.

(4) श्री जगदीश मुवेल, राज्यमंत्री गृह, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड का इक्कीसवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा वर्ष 2001-2002 पटल पर रखेंगे.

3. फरवरी-मार्च, 2004 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का पटल पर रखा जाना.

4. नियम 267-क के अधीन फरवरी-मार्च, 2004 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना.

5. राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना.

6. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री रामलखन शर्मा, सदस्य, रीवा शहर से एक युवक का अपहरण कर हत्या किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री अजय सिंह "राहुल भैया", नारायण त्रिपाठी, सदस्य, प्रदेश के निजी इंजीनियरिंग और तकनीकी संस्थानों में फीस पुनर्निर्धारण से उत्पन्न स्थिति की ओर तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

7. प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

श्री मधुकर हर्णे, सभापति, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे तथा निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

" सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के द्वितीय प्रतिवेदन से सहमत है."

8. विधान सभा की सदस्यता से त्याग-पत्र

मध्यप्रदेश विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 52-नोहटा से निर्वाचित सदस्य, श्री चन्द्रभान सिंह (भैया) तथा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 93 बालाघाट से निर्वाचित सदस्य, श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन द्वारा विधान सभा में अपने स्थान का त्याग करने की सूचना.

9. सभापति तालिका की घोषणा.

निर्धारित समय

10. अशासकीय संकल्प

(1) श्री अखण्ड प्रताप सिंह यादव, डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

40 मि. "यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि ललितपुर-सिंगरोली व्हाया टीकमगढ़-पन्ना रेल लाईन का निर्माण पूर्ण किया जावे."

(2) श्री बंशमणि प्रसाद वर्मा, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

30 मि. "यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि हावड़ा से जबलपुर चलने वाली शक्तिपुंज ट्रेन को भोपाल तक बढ़ाई जावे तथा स्टापेज सीधी जिले के बरगवां, भदौरा में किया जावे."

(3) सर्वश्री नारायण त्रिपाठी, राजेश पटेल, रविन्द्र सुका महाजन, डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

40 मि. " सदन का यह मत है कि प्रदेश के पुरातत्व महत्व के महल, किले, मस्जिद व मंदिरों को राष्ट्रीय धरोहर मानकर पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित किया जावे."

(4) श्री रामलखन शर्मा, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

40 मि. " सदन का यह मत है कि प्रदेश में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की जावे."

डॉ. ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 24 जून, 2004